न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस)

मु0 संख्या :– 07/2013

प्रार्थी

खादय सुरक्षा अधिकारी,
जैसलमेर कार्यालय मुख्य बनाम
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी जैसलमेर

अप्रार्थी

1. श्री राधेश्याम पुत्र दाउदास राठी मूल निवासी रामपोल के अन्दर दर्जीयों की गली पोकरण जिला जैसलमेर मालिक मैसर्स दाउदास विनोद कुमार किले के सामने पोकरण जिला जैसलमेर (राज.)
2. श्री चन्द्रनारायण शारदा पार्टनर मैसर्स श्री महेश ट्रेंडिग कंपनी चुडघर बाजार जोधपुर (राज.)
3. श्री मुकेश शारदा पार्टनर मैसर्स श्री महेश ट्रेंडिग कंपनी चुडघर बाजार जोधपुर (राज.)
4. श्री नीतेश शारदा प्रोपराईटर मैसर्स अशोका सप्लायर प्लॉट नं 16 शिवलाल माथूर नगर संत धाम रोड गुरो का तालाब जोधपुर
5. श्री मोहम्मद शमशेर अली पुत्र श्री हैदर अली निवासी ए 23 जन विहार एक्सटेन्शन फेज 3 गांव बपरोला नई दिल्ली नॉमिनी अशोक एंड कंपनी पान बहार लि. 20 शिवाजी मार्ग नजफगढ रोड नई दिल्ली
6. निर्माता अशोक एंड कंपनी पपान बहार लि. 20 शिवाजी मार्ग नजफगढ रोड नई दिल्ली

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम,2006 नियम 2011)

उपस्थित :–
1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 05, 06 अधिवक्ता श्री मुरलीधर जोशी।
3. अप्रार्थी संख्या 4 नीतेश शारदा अनुपस्थित।

दिनांक:28.08.2020

आदेश

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.09.2012 को 06:15 पीएम पर एफ.बी.ओ. मैसर्स दाउदास विनोद कुमार किले के सामने पोकरण जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी एफ.बी.ओ. मैसर्स दाउदास विनोद कुमार किले के सामने पोकरण जैसलमेर (राज.) दुकान/संस्थान पर विकेता श्री राधेश्याम पुत्र दाउदास राठी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर बताया। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में पान मसाला ब्रांड पान बहार के 20 गत्ता पैकेटस 20 गुणा

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

120 ग्राम कुल 2400 ग्राम 2540/– रूपये देकर एफबीओ से किमतन खरीदी एवं खरीद रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये तथा उपस्थित गवाहन अनिल कुमार पुत्र श्री हस्तीमल राठी निवासी चौधरियों की गली पोकरण जिला जैसलमेर एवं श्री चेलाराम च0श्रे. कर्मचारी कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के हस्ताक्षर करवाये। प्रार्थी द्वारा विक्रेता एवं मालिक को मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता श्री राधेश्याम को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। एफबीओ विक्रेता ने उक्त खाद्य पदार्थ पानमसाला पान बहार अग्रिम विक्रेता फर्म मैसर्स श्री महेश ट्रेडिंग कम्पनी चुडीगर बाजार जोधपुर से इनवोईस नम्बर 115 दिनांक 22.08.2012 द्वारा खरीदा होना बताया जिसकी प्रति संलग्न है। तत्पश्चात प्रार्थी ने खरीद सुदा पान मसाला पान बहार के 20 गत्ता पैकेटस 20 गुणा 120 ग्राम कुल 2400 ग्राम खादय प्रदार्थ पान मसाला ब्रांड पान बहार के 5 गुणा 120 ग्राम कुल 600 ग्राम प्रति नमूने के हिसाब से अलग–अलग डालकर प्रत्येक पर अलग–अलग लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूने पैकेटस पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं क्रमांक नम्बर एन–197 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और पैक्ट को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन–197 दर्ज किया। नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन–197 पान मसाला बांड पान बहार लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की दस प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को श्री चेलाराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा दिनांक 24.09.2012 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2012/403–406 दिनांक 25.10.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./555/Act/2012/571 दिनांक 18.10.2012 अनुसार उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2013/स्वी./एन–197/342 दिनांक 07.06. 2013 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विक्रेता श्री राधेश्याम पुत्र दाउदास राठी मूल निवासी रामपोल के अन्दर दर्जीयों की गली पोकरण जिला जैसलमेर मालिक मैसर्स दाउदास विनोद कुमार किले के सामने पोकरण जिला जैसलमेर (राज.) ने मिथ्याछाप पान मसाला ब्रांड पान बहार का विकय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को

जैसलमेर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थीगण की ओर से परिवाद के संबंध में लिखित में बहस प्रस्तुत किया गया। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी अप्रार्थीगण कि खाद्य निरक्षक जैसलमेर ने मान्य न्यायालय में इस्तगासा धारा 26 की उपधारा 2 खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम एक्ट 2006 रूल्स 2011 के अन्तर्गत पेश किया। जिसमें अप्रार्थीगण के विरूद्व यह आरोप लगा कि पान मसाला बाहर का सेम्पल लेने पर वह मिसब्रांण्ड खाद पदार्थ निकला। उक्त इस्तगासे को प्रस्तुत करने पर अप्रार्थीगण द्वारा समस्त आरोपों से इंकार किया गया एवं निवेदन किया गया कि इस प्रकरण में सम्बन्धित खाद्य निरक्षक को जिरह हेतू बुलवाया जावे ताकि सत्यता एवं आरोपों का सही न्याय निर्णय किया जा सके। खाद्य निरक्षक न तो न्यायालय में हाजिर हुआ व न ही प्रतिपरीक्षा के लिये आया। खाद्य निरक्षक के न्यायालय में नहीं आने पर अप्रार्थी को सही न्याय निर्णय करवाने में दिक्कत आ रही है। इस उपरांत ही मान्य न्यायालय द्वारा यह मुकदमा बहस में रखा गया है। मौखिक बहस की जा चुकी है तथा संक्षिप्त बहस पेश है। (1) इस प्रकरण में मुख्य बिंदू यह है कि पान मसाला को जांच में मिस ब्रांड बताया गया है। यहा यह लिखना उचित होगा कि खाद अपमिश्रण अधिनियम के तहत बने नियमों में गुटके के मानक बाबत कोई मापदंड नहीं है। गुटखा प्रोपराईटरी फूड है। यह भी सही है कि प्रोपराईटरी फूड खुली अवस्था में व सीलबंद दोनों अवस्था में होता है। इस प्रकार प्रोपराईटरी फूड का कोई भी मानक मापदंड नहीं होता। जब मापदंड ही नहीं है तो इस प्रकार के अपराध जैसे पेश किया है बनना नहीं पाया जाता। इस प्रकरण में न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्लू 1992 (2) श्रीकिशन बनाम राजस्थान राज्य पेज 1421 एवं ए.आई.आर 1992 एस.सी 1611 एम. राजा मोहम्मद और अन्य बनाम खाद्य निरक्षक पलघाट नगरपालिका में यहीं सिद्वांत प्रतीत होता है कि कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। (2) द्वितीय बिंदू यह है कि जो मिस ब्रांड बताया गया है उसको परिवादी ने ऐसे किसी साक्ष्य से साबित नहीं किया जिससे यह साबित होता हो कि अप्रार्थी के विरूद्व मिस ब्रांड का अपराध साबित हो। अर्थात इस हेतू न्यायालय में सेम्पल और आर्टिकल पेश नहीं किया गया है और न ही बताया गया है कि यह मिस ब्रांड है। जब साबित ही नहीं है तब अपराध के विरूद्व कार्यवाही स्वतः निरस्त योग्य है। मिस ब्रांड के सम्बन्ध में मान्य सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में माना है कि Criminal Trial Conviction under Prevention of Food Adultration Act 1954 in Rules Substantial Compliance with Rule 32 (B) Wheather Technical Breach enough to justify Conviction इस प्रकार पूर्ण निर्णय का अवलोकन करने के बाद मान्य न्यायालय ने इसको अपराध नहीं माना। इस सम्बन्ध में फौजदारी प्रकरण के विभिन्न निर्णय इस प्रकार है : राजस्थान राज्य बनाम सत्यनारायण पुत्र परागचंद, चंदनमल पुत्र परागचंद एवं खाद्य निरक्षण बनाम पीतांबर कुमार खत्री पुत्र हंसराज खत्री। इन निर्णयों मे भी मान्य न्यायालयों ने भी इनको अपराध नहीं माना है। इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्व कोई अपराध साबित नहीं होता है। (3) एफ.एफ.सी.आई एक्ट के तहत सरकार द्वारा भारत में विभिन्न विधि विज्ञान प्रयोगशाला को जांच के लिये अधिकृत किया है। जिसका गजेट नोटिस जारी किया गया है परन्तु इस गजेट में जोधपुर स्थित प्रयोगशाला को अधिकृत नही किया गया है। जिस लैब में जांच की है वह अधिकृत नहीं है अगर अनाधिकृत लैब में जांच की गई है तो उसका कोई विधिक महत्व नहीं है। इस आधार पर भी अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही समाप्त की जाने योग्य हैं। (4) विधि का स्पष्ट सिद्वांत है कि कोई भी कम्प्लेन पेश की जाती है तो उसको साबित करने का भार कम्प्लेनेन्ट पर होता है । कम्प्लेनेन्ट न्यायालय में उपस्थित होकर उस तथ्य को गवाही के जरिये साबित करता है और अप्रार्थी द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जाती है। अप्रार्थी द्वारा न्यायालय में प्रतिपरीक्षा के लिये खाद्य निरक्षक को बुलाने का निवेदन दिया गया परन्तु तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा यह कहा गया कि साबित करने का भार कम्प्लेनेन्ट पर है, वह गवाह देता है तो जिरह का अधिकार रहेगा। इस प्रकार अप्रार्थी की जिरह की प्रार्थना उक्त आधार पर मौखिक रूप से निरस्त की गई। अतः अप्रार्थी के मूल्यवान अधिकार का हनन हुआ। जिरह का अवसर न देने से चूंकि मामला

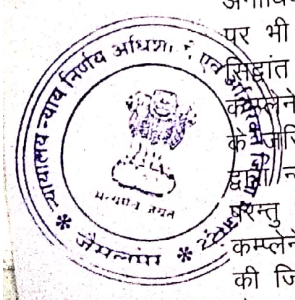

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

कम्प्लेनेन्ट सिद्व नहीं किया इस प्रकार अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही निरस्त योग्य है। (5) इस पूरे प्रकरण में पान मसाले का जो सेम्पल लिया गया वह विधि के अनुसार नहीं लिया गया तथा अनाधिकृत रूप से लिया गया है और ना ही जोधपुर स्थित विज्ञान प्रयोगशाला की स्वीकृति विधि अनुसार ली गई है। विधि अनुसार न होने के कारण यह खारिज योग्य है। न्यायालय विधि का मंदिर है अथवा यहां विधि विरूद्व कार्य करना मान्य योग्य नहीं है। (6) खाद्य निरक्षक को इन तथ्यों की पूरी जानकारी है। खाद्य निरक्षक ने यह माना है कि मैं मॅन्यूफेक्चर के अलावा यह वारंटी के तहत है। विधि अनुसार अप्रार्थी द्वारा वारंटी के पेपर भी दिये गये। परन्तु इस पूरे प्रकरण को गलत तरीके से पेश किया गया ताकि इसका सही न्याय न हो सके।

7. उभय पक्षो की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं सम्बंधित दृष्टान्त व दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये। दृष्टान्त व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व दोनो पक्षो की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./555/Act/2012/571 दिनांक 18.10.2012 के अनुसार पान मसाला ब्रांड पान बहार खादय पदार्थ का उक्त नमूना मिथ्याछाप पाया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थीगण पर मिथ्याछाप स्तर के पान मसाला ब्रांड पान बहार खादय पदार्थ का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी संख्या 01 श्री राधेश्याम जो मैसर्स दाउदास विनोद कुमार किले के सामने पोकरण जिला जैसलमेर फर्म के प्रोपराईटर, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 श्री चन्द्रनारायण शारदा व श्री मुकेश शारदा जो मैसर्स श्री महेश ट्रेंडिग कंपनी चुडघर बाजार जोधपुर फर्म के प्रोपराईटर, अप्रार्थी संख्या 04 श्री नितेश सारडा जो मैसर्स अशोका सप्लायर प्लॉट नं 16 शिवलाल माथूर नगर संत धाम रोड गुरो का तालाब जोधपुर फर्म के प्रोपराईटर, व अप्रार्थी संख्या 06 निर्माता अशोक एंड कंपनी पान बहार लि. 20 शिवाजी मार्ग नजफगढ रोड नई दिल्ली फर्म के प्रोपराईटर पर मिथ्याछाप स्तर की पान मसाला ब्रांड पान बहार खादय पदार्थ विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 से 04 प्रत्येक पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये मात्र व अप्रार्थी संख्या 06 पर 50,000/– अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 28.08.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(ओ0पी0बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर

Scanned by CamScanner